


आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
20.02.2023	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-03/2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।</p> <p>Telephonic conference के माध्यम से हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता अब भी इस बात पर अडिग है कि उन्हें जितना राशन मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला जबकि उनसे अँगूठा लगवा लिया गया। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश देता है कि वे इस मामले में व्यक्तिगत जाँच करें एवं यदि अपीलकर्ता को जितना राशन मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला तो उन्हें क्षतिपूर्ति के साथ राशन उपलब्ध कराते हुए प्रमाण आयोग को भेजें।</p> <p>इस निर्देश के साथ आयोग वाद की कार्यवाई समाप्त करता है।</p> <p style="text-align: center;"> (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> <p style="text-align: center;"> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p>	